

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Hisar Year (वर्ष): 2024
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0003 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):
09/02/2024 13:38 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	420
3	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	12
4	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13
5	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	8

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Intervening Days Date from (दिनांक से): 01/05/2020 Date To (दिनांक तक): 31/12/2022
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): 00:00 hrs Time To (समय तक): 00:00 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 09/02/2024 Time (समय): 12:15 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 014 Date and Time (दिनांक और समय): 09/02/2024 13:22 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH-EAST, Beat No. (बीट सं.): 75 Km(s)

(b) Address (पता): भिवानी,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): निरीक्षक प्रकाश चन्द 13 रेवाडी
 (b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):
 (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1979 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA
 (e) UID No. (यूआईडी सं.):
 (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	ACB गुरुग्राम, GURUGRAM, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	ACB गुरुग्राम, GURUGRAM, HARYANA, INDIA

- (j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	श्रीमति सुनिता ततकालीन ARCS			1. भिवानी, BHIWANI, HARYANA, INDIA
2	स्टालियनजीत		Father's Name: हरबेल सिंह	1. मकान नं 66, शर्मा गार्डन, यमुनानगर एवं मकान नं 5284ए, सैक्टर 38 पश्चिम चण्डीगढ़, YAMUNA NAGAR, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
---------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में,

प्रबधक थाना,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
हिसार मण्डल, हिसार ।

श्रीमान जी,

मैं निरीक्षक प्रकाशचन्द न0 13/रेवाडी थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम में बतौर अनुसंधान अधिकारी नियुक्त हूँ । मैं अभियोग संख्या 21 दिनांक 13.05.2023 धारा 409,420,120बी, 467,468,471 भा0द0स0 व 7, 8, 13 PC ACT 1988 PS ACB GGM में गठित की गई SIT का सदस्य हूँ। इस अभियोग के अनुसंधान के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार सामने आए तथ्यों से, सामने आया है कि सहकारिता विभाग एवं ICDP Project में स्टालियनजीत पुत्र हरबेल सिंह वासी मकान नं0 66 शर्मा गार्डन, यमुनानगर जिला यमुनानगर एवं मकान न0 5284ए, सैक्टर 38 पश्चिम चण्डीगढ़ द्वारा जिला कैथल में तैनात श्रीमति सुनिता, तत्कालीन ARCS, Bhiwani को रिश्त दी गई है। श्रीमति सुनिता तत्कालीन ARCS, Bhiwani द्वारा स्टालियनजीत से रिश्त की मांग करते हुए, उसे प्राप्त किया गया है। रिश्त देने के कारण या सरकारी राशि को गबन करने वाक्या अनुसंधान के दौरान सामने आएंगे । श्रीमति सुनिता, तत्कालीन ARCS, Bhiwani द्वारा रिश्त लेने से सम्बन्धित काफी प्रमाण मौजूद है, जिनका विवरण इस प्रकार है:-

- श्रीमति सुनिता दिनांक 01.05.2020 से 31.05.2020 तक व दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक ARCS, Bhiwani के पद पर तैनात थी। उपरोक्त अवधि में स्टालियनजीत व श्रीमति सुनिता के मध्य Whatsapp chats Bank Details का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्रीमति सुनिता द्वारा अपने मोबाइल नम्बर 9896450190 से स्टालियनजीत सिंह के मोबाइल पर अपने बैंक खाते की डिटेल भेजी गई है।

स्टालियनजीत सिंह द्वारा 5,000/- रुपये उनके बैंक खाता में डालने के बारे में Whatsapp chat पर सूचित किया हुआ है।

- श्रीमति सुनिता के बैंक खाता नं0 3350000100103848 PNB का अवलोकन करने पर पाया कि ₹0 5,000/- दिनांक 05.05.2020 को उनके खाते में डलवाये गये । सम्भवतः यह राशि रिश्त की है।

- अभियोग संख्या 21/2023 में स्टालियनजीत के मोबाइल में मौजूद Whatsapp Chat की DITAC GGM से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसका अवलोकन किया गया तो DITAC Report में भी वह Whatsapp Chat मौजूद पाई गई जो स्टालियनजीत द्वारा अपनी गिरफ्तारी से पहले अपने मोबाइल फोन से Whatsapp Chat निकाल कर स्वेच्छा से अनुसंधान अधिकारी को दी थी। DITAC Report का अवलोकन के उपरान्त राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में अलग से Observation Memo तैयार किया गया है।

- स्टालियनजीत सिंह द्वारा ऐसे ही एक वाक्या G.M, ICDP Rewari के साथ मिलकर किया गया, जिसमें करोड़ों रुपये की सरकारी धनराशि का गबन फर्जी बिल बनाने व पास करवाने जैसी कार्यवाही करते हुए किया गया। इस सम्बन्ध में थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम में 02 अभियोग अंकित है।

- अभियोग संख्या 21 दिनांक 13.05.2023 धारा 409,420,120बी, 467,468,471 भा0द0स0 व 7,8,13 PC ACT 1988 PS ACB GGM एवं अभियोग संख्या 29 दिनांक 03.07.2023 धाराधीन 409,420,120बी, 201 भा0द0स0 7, 13(1)(a) तथा 13(1)(b) r/w 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम के अनुसंधान के दौरान सामने आया है कि आरोपी स्टालियनजीत हरियाणा के विभिन्न ICDP Project एवं Cooperative सोसायटी के Funds को सहकारिता विभाग के अधिकारियों से मिलकर गबन कर लेता है। कुछ मामलों में सहकारिता विभाग के अधिकारियों द्वारा स्टालियनजीत एवं अन्य से मिलीभगत करके घटिया सामान की आपूर्ति की गई जबकि बिल अच्छे व किमती सामान के लगाए गए। धरातल पर कार्य नहीं किया लेकिन फर्जी बिलों को लगाकर सरकारी धनराशि का गबन किया गया। झूठे स्वयं सहायता गुप को ऋण दिया गया जो बाद में गबन किया गया। निर्माण व मजदुर सोसायटियों को रिश्त लेकर लोन दिया गया । ठेकेदारों से रिश्त लेकर उन्हें सरकारी कार्य दिया गया।

उपरोक्त विवरण के अनुसार श्रीमति सुनिता, तत्कालीन ARCS, Bhiwani द्वारा स्टालियनजीत पुत्र हरबेल सिंह वासी मकान नं0 66 शर्मा गार्डन, यमुनानगर जिला यमुनानगर एवं मकान न0 5284ए, सैक्टर 38 पश्चिम, चण्डीगढ़ के साथ

योजनाबद्ध तरीके से मिलीभगत करके सरकारी धनराशि का गबन करते हुए 5,000/रु (पाँच हजार रुपये) कि रिश्त ली गई है। इस सम्बन्ध में अपराधिक मामला दर्ज करके अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता है, ताकि रिश्त की रकम के साथ-साथ योजनाबद्ध तरीके से गबन की हुई राशि की रिकवरी हो सके। रिश्त के इस कृत्य में वर्तमान समय तक अपराध जेर धारा 7,8,12,13 भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 एवं धारा 420, 120बी IPC का अपराध होना पाया गया है। आरोपियों का कृत्य EX-Facie Criminal in Nature है, जिसके लिए मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र क्रमांक न0 4/2/2021-1VII Dated 26.07.2022 द्वारा जारी निर्देशों के तहत 17-A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला से क्रमांक 3068/1-2/ACB(H) dated Panchkula dated 25.01.2024 के अनुसार अनुमति प्राप्त हो चुकी है। उक्त मामला भ्रष्टाचार निरोधक मण्डल हिसार के अधिकार क्षेत्र का पाया गया है। अतः श्रीमति सुनिता ARCS Bhiwani, व स्टालियनजीत पुत्र हरबेल सिंहें वासी मकान नं0 66 शर्मा गार्डन, यमुनानगर जिला यमुनानगर एवं मकान न0 5284ए सैक्टर 38 पश्चिम, चण्डीगढ़ के खिलाफ नियमानुसार मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला से अनुमति प्राप्त की गई है। अभियोग अंकित किया जाए।

SD Parkash Chand Insp.

निरीक्षक प्रकाश चन्द,

थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम ।

कार्यवाही पुलिस:-आज मन निरीक्षक हाजिर थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हिसार मण्डल हिसार हाजिर हूँ जो इसी असना में निरीक्षक प्रकाशचन्द न0 13/रेवाडी थाना भ्रष्टाचार गुरुग्राम ने हाजिर थाना ACB हिसार आकर एक टाईप शुदा दरखास्त मन निरीक्षक को पेश की । जो दरखास्त के हालात बारे अफसरान बाला को अवगत कराया गया। जो दरखास्त के मजबूत से सरेदस्त जुर्म जेर धारा 420, 120बी 1PC व 7, 8, 12, 13 PC ACT का सरजद होना पाया जाने पर तहरीर हवाले MHC करके मुकद मा दर्ज रजिस्टर किया जाकर नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हमरा लेकर मन निरीक्षक मय मुदई प्रकाश चन्द निरीक्षक मय ASI पवन, EHC नरेन्द्र, मय सरकारी गाडी न0 HR-03GV-7622 चालक प्रदीप कुमार आईन्दा का होता हूँ ।

अज थाना:-ACB HISAR

SD VIJAY KUMAR

निरीक्षक

युनिट भिवानी

भ.नि.ब्यूरो

दिनांक 09.02.2024

AT. 12.10 PM.

अज थाना- हस्ब आमद तहरीर बदस्त निरीक्षक विजय कुमार के थाना में प्राप्त होने पर मुकदमा नं. 03 दिनांक 09.02.2024 जेर धारा 420,120बी0 भा0द0स0 एवं 7,8,12,13 भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हिसार दर्ज रजि. किया जाकर अनुसंधान हेतू नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर बदस्त आरिन्दा निरीक्षक विजय कुमार के हवाले की जाकर मय मुदई मय मुलाजमान बा सवारी गाडी सरकारी नं. HR 03GV-7622 के रवाना आईन्दा का किया गया है । प्र.सु.रि. की स्पेशल प्रतियां तैयार करके बजरियां EMAIL ID द्वारा ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब भिवानी व पुलिस अधीक्षक भिवानी की सेवा में भेजी जा रही हैं ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

- (2) Directed (Name of I.O.) (जाँच अधिकारी का नाम): VIJAY Rank (पद): I (Inspector)
KUMAR
No. (सं.): SR65 to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)
or (या)
- (3) Refused investigation due to (जाँच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण
हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): Ramesh Kumar
Rank (पद): Inspector
No. (सं.): 225/H

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7

संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female					Is pox pitted: Yes
2	Male					Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)